कार्यालय–जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर।
(राजकीय आश्रम पद्वति विधालय रूद्रपुर उधम सिंह नगर)

ई–निविदा–भोजन सामग्री आपूर्ति हेत

(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग–एक

खण्ड "क"– ई–निविदा/भोजन सामग्री आपूर्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या–75 दिनांक 30.09.2025 के द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, जो तकनीकी अर्परहार्य कारणों से निरस्त करते हुए पुनः समाज कल्याण विभाग उधम सिंह नगर द्वारा राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालय, उधमसिंह नगर में अध्ययनरत्/निवासरत् विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2025–26 में भोजन सामग्री की आपूर्ति करने हेतु ऐसे निविदादाता जो निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों, से ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाइन (Online) तकनीकी (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) निम्न कार्यकमानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र0सं0	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि/मूल्य
1	वेबसाइट https://.uktenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	04 अक्टूबर 2025
2	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को (Online Upload) करने की तिथि	04 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 05:00 PM तक
3	निम्नलिखित को दो पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा दोनों को एक लिफाफे में सील्ड कर जिला समाज कल्याण ऊधमसिंहनगर कार्यालय में उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि ▪ निविदा आवेदन पत्र शुल्क ▪ अर्नेस्ट मनी (EMD)	17 अक्टूबर 2025 शांय 05:00 बजे तक
4	तकनीकी बिड खुलने की तिथि	18 अक्टूबर 2025 10:30 बजे पूर्वान्ह जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊधमसिंहनगर
5	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के परिक्षणोपरान्त
6	निविदा आवेदन पत्र शुल्क	2500+18% GST

1– ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिये निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है तथा निविदाओं से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रूद्रपुर, उधमसिंह नगर में सर्म्पक कर सकते हैं।

2– ई–निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिये निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट https://.uktenders.gov.in से Download कर सकते हैं।

भवदीय,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधम सिंह नगर

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर।

पत्रांक 77 **/स0क0/भोजन व्यवस्था/ 2025–26** **दिनांक** 03 **अक्टूबर 2025।**

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण, अमर उजाला, एवं हिन्दुस्तान उधमसिंह नगर को इस अनुरोध साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने अधीन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दरों पर उत्तराखणड राज्य स्तर पर प्रकाशित करने के साथ ही भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– निदेशक, समाज कल्याण,उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल की सेवा में परिपालनार्थ मे सूचनार्थ प्रेषित।

3– नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेने का कष्ट करें।

4– रा.जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) ऊधमसिंहनगर सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

खण्ड "ख"–कार्य का विवरण

1–समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड जनपद उधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालय, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत छात्र संख्या के आधार पर सत्र 2025–26 में भोजन सामग्री की आपूर्ति, शासन द्वारा शासनादेश संख्या–258/xxII-A-3/2023-01(27)/2006 दिनांक 22 जून, 2023 के अनुसार निविदा में दिये गए मेन्यू में अंकित खाद्य सामग्री के अनुसार की जानी है। संस्था में पंजीकृत छात्र संख्या घट–बढ़ सकती है। शासन द्वारा भोजन की अधिकतम दर रू0 150.00 (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रति छात्र/प्रति दिन निर्धारित है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	संचालित कक्षा	स्वीकृत छात्र सं0
1	राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय ,रूद्रपुर–उधम सिंह नगर	कक्षा– 01 से कक्षा– 05	60

2– निविदादाताओं द्वारा भोजन सामग्री की आपूर्ति सम्वन्धी दरें सभी कर आदि जोड़ते हुये उपरोक्त संस्था माह 16 अक्टूवर 2025 से पूरे 15 अक्टूवर 2026 के लिये निर्धारित प्रपत्र पर दी जानी हैं।

3– सफल निविदादाता को विद्यालय में भोजन सामग्री की आपूर्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर द्वारा दी गई तिथि से प्रारम्भ करनी होगी, साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के साथ अनुवन्ध भी निष्पादित करना होगा।

अधीक्षक
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

खण्ड 'ग' (निविदा की मुख्य शर्तें)

1. निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के लिफाफे के ऊपर **"समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में संचालित संस्था का नाम में भोजन आपूर्ति हेतु निविदा"** अवश्य लिखें।
2. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तो के विपरीत एवं निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं इसके साथ दी गई शर्तों को हस्ताक्षरित करेगा और अपना/अपनी फर्म का पूर्ण नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा।
4. निविदा हेतु निर्धारित **प्रपत्र भाग–1 (क) (Technical Bid)** को पूर्ण कर संलग्न करें तथा निविदा दरें **प्रपत्र–1 (ख) (Financial Bid)** में प्रस्तुत करें।
5. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा प्रकिया सम्पन्न करने वाली समिति को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य, प्रचार एवं किसी भी प्रकार का अवांछित दबाव जिससे निविदा की प्रकिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो, निविदा निरस्त करने के लिये पर्याप्त होगा।
8. इस निविदा के माध्यम से अनुमोदित की गई दरें कार्यादेश दिये जाने की तिथि से 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य होगी।
9. सफल निविदादाता जिसकी दरें अनुमोदित की जायेगी और उसे भोजन व्यवस्था का आदेश जारी किया जायेगा। यदि सम्बन्धित निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में वर्णित अवधि के अन्तर्गत नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत धरोहर धनराशि/कार्य प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. भोजन आपूर्ति दिये गये मेन्यू (Menu)के अनुसार होनी चाहिये (Menu संलग्नक)। मेन्यू (Menu)के अनुसार भोजन आपूर्ति न होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी तथा तद्नुसार बिलों में कटौती की जायेगी।
11. निविदादाता को जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
12. निविदादाता, श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
13. निविदादाता के पास निविदा से सम्बन्धित कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इस हेतु उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा की अनुमानित लागत की दो प्रतिशत धरोहर धनराशि (Earnest Money) जो कि वापसी योग्य (Refundable) होगी, राजकोष में जमा करनी होगी।
15. निविदादाता/फर्म का व्यवसाय (Turnover) विगत तीन वर्षो में निविदा मूल्य का कम से कम तीन गुना होना चाहिए।
16. निविदादाता द्वारा आयकर/बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसे अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी। जो कि एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारन्टी के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के नाम में देय होगी।
18. जिस निविदादाता को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी उसका उक्त व्यवस्था के सही संचालन का उत्तरदायित्व भी होगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निविदा समिति को उसकी निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. न्यूनतम बोली/दर के आधार पर निविदा समिति द्वारा निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत निविदा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा निविदादाता के साथ अनुबन्ध पत्र निष्पादन कराया जायेगा।
20. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड **"प्रपत्र क"** में एवं वित्तीय बिड आनलाईन BOQमें प्रस्तुत करनी होंगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

21. न्यूनतम दर में एक से अधिक फर्में आने पर कार्य का आवंटन करने के लिए निविदा समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा, जो निविदादाताओं को मान्य होगा।

22. **धरोहर राशि (EMD)**–निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से, **बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी** जो बैक ऑफ बडौदा में देय हों, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 06 (छः) माह के लिए वैध होनी चाहिए। असफल निविदादाओं की धरोहर राशि निविदाओं की स्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्यालय के पास जमा रहेगी। जिसे उनकी जमानत राशि (Security Money) में समायोजित कर दिया जायेगा। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। EMD की गणना वर्तमान में प्राविधानित धनराशि के अनुसार की जायेगी। निविदादाताओं को धरोहर राशि प्रत्येक विद्यालय/संस्था निम्नानुसार जमा करनी होगी:–

क्र0 सं0	संलग्नक सूची के अनुसार संस्थाओं का क्रमांक	धरोहर राशि (EMD)
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	अनुमानित/प्राविधानित धनराशि रू0 **29.70** लाख का 2 प्रतिशत लगभग रू0 59,400 (रू0 उनसठ हजार चार सौ मात्र)

नोट– निविदादाता किसी एक विद्यालय/संस्था अथवा एक से अधिक विद्यालयों/संस्थाओं अथवा सभी विद्यालयों/संस्थाओं हेतु निविदा आवेदन कर सकते है, किन्तु धरोहर राशि उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक ही जमा करनी होगी।

23. समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की "तकनीकी बिड" सफल घोषित की जायेगी, उन्हीं निविदादाताओं की "वित्तीय बिड" खोली जायेगी।

24. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएँ यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हों, एवं आवेदन पत्र में दिये गये क्रमांक के क्रम में Upload की गयी हो। आवेदन पत्र में जो बिन्दु निविदादाता से सम्बन्धित न हों उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय।

25. समस्त संस्थाओं में भोजन की दर रू0 150/– प्रतिदिन प्रतिछात्र/छात्र निर्धारित है। इससे अधिक दरें निविदा में दिए जाने पर निविदा अमान्य हो जाएगी, तथा अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 20 (झ) के अनुसार शून्य(zero) दर पर भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

अधीक्षक
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

खण्ड भाग 'घ' (तकनीकी बिड)

तकनीकी बिड प्रपत्र भाग 1 (क) के साथ निम्नवत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र आनलाईन Upload करने होंगे। समस्त अभिलेख/प्रमाण–पत्रों को Online Upload न करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मूल प्रति में प्रपत्र स्वीकार्य नही किये जायेगें।

1. फर्म का GST विभाग में पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
2. विगत 02 (दो) वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति, निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि की स्कैन की गई प्रति।
3. स्थायी आयकर खाता (PAN) संख्या की छायाप्रति।
4. विगत दो वर्षो का GST के भुगतान का प्रमाणपत्र।
5. C.A द्वारा प्रदत्त विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24 व 2024–25) की सम्प्रेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण।
6. निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित छात्र क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

क्र.सं.	छात्र संख्या	टर्न ओवर लाख में	संस्थाओं का विवरण
01	60 छात्र क्षमता तक	29.90 लाख प्रति	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

नोट– जो निविदादाता समस्त संस्थाओं के लिए निविदा डालेगा उसकी फर्म का टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2024–25 में कम से कम रू0 29.70 लाख होना चाहिए। सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. निम्नलिखित बिन्दुओं के लिये नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि समस्त सूचनाऐं प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना जो देना आवश्यक हो को छिपाया नहीं गया है और यदि कोई छिपाई जाती है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा संबंधित संस्था/फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, वह निविदादाता को मान्य होगी।
8. निविदादाता के खिलाफ किसी भी मा0 न्यायालय में अपराधिक वाद दायर न हों।
9. निविदादाता फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं होना चाहिये।
10. तकनीकी बिड से सम्बन्धित निम्नलिखित को दो पृथक–पृथक लिफाफों तथा इन लिफाफो को एक तीसरे लिफाफे में सील्ड कर कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर में अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध कराया जाना है। जिन्हें पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात लिफाफा प्राप्त होने पर ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के दाहिनी ओर मोटे अक्षरों में "समाज कल्याण विभाग" द्वारा संचालित संस्थाओं में सत्र 2025–26 (16 अक्टूबर,2025 से 15 अक्टूबर, 2026 तक) हेतु भोजन आपूर्ति" एवं विज्ञप्ति सं0 अनिवार्य रूप से अंकित करें।

- (एक) – आवेदन पत्र शुल्क
- (दो) – अर्नेस्टमनी (EMD)

नोट– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसके मूल अभिलेखों की समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा किसी प्रकार की कमी/भिन्नता पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा वरीयता सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त निविदादाता की निविदा स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

11. प्रपत्र भाग–1 (क) पर पूर्ण रूप से भरा हुआ तकनीकी बिड आवेदन पत्र, जिस पर यथास्थान निविदादाता के दिनांक एवं मुहर सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये गये हो।
12. अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 20 (झ) के अनुसार शून्य(zero) दर पर भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदादाता के द्वारा दर शून्य अंकित किये जाने की दशा में निविदा को अस्वीकार करते हुए एल–02 निविदा को स्वीकृत किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अधीक्षक
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

खण्ड 'ड' (वित्तीय बिड)

1. वित्तीय बिड अर्थात् Financial Document में सभी प्रकार के कर आदि जोडते हुए संस्थावार प्रतिछात्र प्रतिदिन के अनुसार दरें देनी होगी।
2. वित्तीय बिड आनलाईन दी गई BOQ प्रारूप में ही आनलाईन अपलोड करनी होगी।

अधीक्षक
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

खण्ड 'च' (निविदा के अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तें)

1. संस्था में होने वाले अवकाश अवधि यथा ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश को भी निविदा में इंगित किया जायेगा।
2. विद्यार्थियों/संवासियों के लिए भोजन/जलपान तैयार करने हेतु संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान तथा सुविधाओं (यथा गैस, चूल्हा, बर्तन, अन्य उपकरण इत्यादि, संस्था में उपलब्ध होने पर बिजली का उपयोग इत्यादि) का निविदादाता से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जायेगा। किन्तु गैस भराने रिफिल आदि का दायित्व निविदादाता का होगा।
3. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यार्थियों/संवासियों की पांच सदस्य एक समिति बनायी जायेगी। विद्यार्थियों/संवासियों को समिति में प्रतिमाह बदल दिया जायेगा। अर्थात समिति में प्रतिमाह नये विद्यार्थी/संवासी रहेगें।
4. परिस्थितिवश विद्यार्थी/संवासी संख्या में परिवर्तन सम्भावित है।
5. निविदा द्वारा उक्त व्यवस्थायें किये जाने हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। अपितु उक्त व्यवस्थायें पूर्व से प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत की जायेगी।
6. उपरोक्त संस्थाओं में इन कार्यो हेतु जो कार्मिक पूर्व में कार्यरत हैं, संस्थाध्यक्ष उनसे यथा आवश्यकता अन्य कार्य लिए जा सकते हैं।
7. निविदा की अवधि एक वर्ष रखी जायेगी तथा निविदा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्योरमेंट) नियमावली, 2017 एवं वित्तीय नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, निविदा समिति में सुरक्षित रहेगा।
9. चयनित निविदादाता द्वारा यदि अनुबंध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी/सिक्योरिटी की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. चयनित निविदादाता द्वारा सम्बन्धित संस्था के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु रू0 100/–(रूपये एक सौ) का नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर (जो टिकट के रूप में नहीं होगा) उपलब्ध कराना होगा।
11. कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित निविदादाताओं को जारी कार्यादेष एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
12. भोजन तैयार करने का माध्यम उच्च गुणवत्ता वाले सरसों का तेल, वनस्पति घी एवं रिफाइण्ड तेल होगा। उक्त सभी सील बन्द टीन में अच्छी व प्रचलित ब्राण्ड के होने चाहिए।
13. भोजन में प्रयुक्त होने वाले मसाले उच्च गुणवत्ता वाले एगमार्क के होने चाहिए।
14. प्रयुक्त किया जाने वाला नमक पिसा एवं आयोडीन युक्त होना चाहिए।
15. आपूर्ति किया जाने वाला दूध गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त न होने की स्थिति में निविदादाता वाजार में प्रचलित उच्च ब्राण्ड के पैकेट बन्द दूध की आपूर्ति कर सकता है।
16. आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे। उनके रहने की व्यवस्था स्थान की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय प्रशासन/संस्था द्वारा की जायेगी। अन्यथा निविदादाता को उक्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
17. विद्यालय प्रशासन द्वारा आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने हेतु खाली गैस सिलेण्डर जगह–स्थान किचन, डायनिंग हाल, स्टोर उपलब्ध कराया जायेगा। जिसकी स्वच्छता का रख–रखाव निविदादाता को ही करनी होगी। किसी भी दशा में इन स्थानों पर हुई टूट–फूट, सफाई/गैस भट्टी पखों फ्रिज आदि मरम्मत पर आने वाले व्यय भार का वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
18. अस्वस्थ छात्र–छात्राओं हेतु चिकित्सीय परामर्श के अनुसार भोजन (जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल आदि) की व्यवस्था अलग से करनी होगी तथा विद्यालय में समय–समय पर होने वाली बैठकों, वर्कशाप आदि में आमंत्रित अतिथियों के भोजन, चाय आदि की व्यवस्था करनी होगी।
19. आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने के दौरान परिवेश स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों के बर्तनों की सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। स्टोर, किचन एवं डायनिंग हाल तथा उससे सम्बन्धित अन्य स्थानों जैसे भोजनालय आदि की नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था तथा सफाई हेतु सर्फ, फिनाईल, मच्छरों को मारने हेतु पम्प/फिलिट की व्यवस्था भी आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

20. आपूर्तिकर्ता को ऋतु/मौसम के अनुसार ताजी सब्जियों एवं फलों की आपूर्ति करनी होगी।

21. आपूर्तिकर्ता को भोजन की आपूर्ति ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश हेतु विद्यालय बन्द होने तक बिना व्यवधान के नियमित रूप से करनी होगी।

22. आपूर्तिकर्ता संस्था अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश में उल्लेखित तिथि से भोजन की आपूर्ति करनी होगी। अतः आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक दशा में उक्त तिथि से दो दिन पूर्व तक अपनी समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कर लेनी होगी ताकि विद्यालय/संस्था प्रशासन भोजन आपूर्ति के सम्बन्ध में निश्चित हो सके।

23. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा छात्रों भोजन मे रोजना दी जाने वाली सामग्री अण्डा,मक्कखन,फल आदि नही देता तो बाजार मूल्य दर पर उस सामग्री का मूल्य बिल में कटौती कर दी जायेगी। आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक माह की आपूर्ति के पश्चात् बिल प्रस्तुत किये जाने पर उस माह का भुगतान किया जायेगा तथा इसी क्रम में आगे का भुगतान भी किया जाता रहेगा।

24. विद्यालय में अवकाश (जैसे दीपावली, दशहरा, ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश) होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को अवकाश के दिवसों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

25. निविदादाता को विद्यालय में अवकाश पर चल रहे छात्रों तथा छात्र दिन या रात के भोजन के समय अपने धर जाता है तो भोजन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुपस्थित चल रहे छात्र/छात्राओं की संख्या का निर्धारण प्रतिदिन एम0ओ0डी0 फार्म के आधार पर होगा।

26. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि विद्यालय परिसर में निविदादाता तथा निविदादाता द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण सम्बन्धित कर्मचारियों के पते के सत्यापन के साथ विद्यालय/संस्था प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा तथा उनके द्वारा विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का ब्यसन जैसे, तम्बाकू, गुटखा, धुम्रपान तथा मदिरा सेवन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में पाये जाने पर विधि सम्मत वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार विभाग का होगा।

27. किसी अवयस्क बच्चें को कार्य पर नहीं रखने की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार की होगी। भविष्य में कभी भी उक्त प्रकरण प्रकाश पर आने पर पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आपूर्तिकर्ता का होगा।

28. शासन से बजट विलम्ब से मिलने पर ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा कोई भी धनराशि अग्रिम नहीं दी जायेगी।

29. ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु एवं शरदऋतु में नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं सायं काल का नाश्ता एवं रात्रि भोजन का निर्धारण संबंधित संस्थाध्यक्ष के अनुसार बताये गये समय पर करानी होगी।

30. "कैन्टीन–मैस" परिसर से निकलने वाले कूड़े इत्यादि को संस्थाध्यक्ष द्वारा बताये गये स्थान पर डिस्पोजल किया जाना अनिवार्य होगा।

31. "कैन्टीन–मैस" में समस्त कुकिंग केवल व्यावसायिक गैस कनैक्शन (कॉमर्शियल) होगा। लकड़ी, कोयला, हीटर का प्रयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–भाग 1(क)

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2025–26 के लिए भोजन सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तकनीकी बिड (Technical Bid)

1. निविदादाता का नाम..
2. पता..
3. फोन नम्बर कार्यालय..मोबाईल..
4. दो वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र/आयकर रिटर्न..
5. स्थायी आयकर खाता संख्या (PAN)..
6. TIN No./G.S.T No. ....
7. CA। द्वारा विगत तीन वर्षो की Balance Sheet
8. चरित्र प्रमाण पत्र
9. "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना ....
10. निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें–
    - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
    - निविदादाता को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
11. निविदा आवेदन पत्र के मूल्य का विवरणः–
    (सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
    - डी0डी0 नं0 व दिनांक..
    - धनराशि–रू..
    - बैक का नाम व शाखा..
12. धरोहर राशि (EMD) का विवरणः–
    (सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करवायें)
    - डी0डी0 नं0 व दिनांक..
    - धनराशि –रू..
    - बैक का नाम व शाखा ....
13. तकनीकी बिड के संलग्नकों की संख्या..
14. अन्य कोई विवरणः–..

मैं..मैसर्स..प्रतिशत साझेदार/प्रवन्धक हूँ। इस ....का मालिक/..निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मै उत्तरदायी रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम..............................

दिनांक..............................

संस्था का नाम..............................

Scanned with OKEN Scanner

Annxture- Part 1 (A)

Technical Bid

Procurement of supply Food item in Govt. Ashram Type School
Rudrapur Udham Singh Nagar
Uttarakhand for 2025-2026

1- Name of the Tenderer...

2-Address..

3-Phone (Office)..Mobile No...

4-IT Returns for last two years...

5-PAN..

6-TIN/GST No. ....

7-Balance Sheet of last 3 years..
(Issued by CA)

8-Character Certificate..

9-Certificate issued by the food Safty and Standard Authority of India............................

10-Notarized affidavit for the following-

(a)- That no dispute with any of govt. dept. is pending.

(b)- That neither the tenderer is black listed by any of the states nor has his urnest money ever been forefitted.

11-Details of the value of the tender form-

<u>(To be made available to District Social Welfare Officer, Udham Singh Nagar in a sealed envelop)</u>

(a)-DD No. & Date...

(b)- Amount ` ....

(c)-Bank & Branch...

12-Details of EMD-

<u>(To be made available to District Social Welfare Officer, Udham Singh Nagar in a sealed envelop)</u>

(a)-DD No. & Date...

(b)- Amount ` ....

(c)-Bank & Branch...

13-No. of enclosures with technical bid...

14-Any Other deltail:-

I ....M/S/ Owner and..........................% Partner of the Firm; hereby owe complete responsibility towards the formality of fulfilment of this tender and all its documents. Above mentioned information is absolutely true to the best of my knowledge and belief and no information has been kept hidden. If any of the same is found false or incomplete, I'll be resonsible for that.

Date...........................

Sig. of Tenderer

Name
(Seal the Firm)

Scanned with OKEN Scanner

आहार सारणी (Diet Chart)/मेन्यू (MENU)

दिवस	प्रातः कालीन नाश्ता (समय–7:00 बजे)	दोपहर का भोजन (समय– 1:00 बजे)	सायकालीन नाश्ता (समय– 4:00 बजे)	रात्रि भोजन (समय–7:00–8:00 बजे)
सोमवार	1 ब्रेड रोल/ब्रेड पकोड़ा सॉस के साथ 02 नग बड़े 2 दूध– 200 मि०ली०	1 दाल– 50 ग्राम 2 चावल–150 ग्राम 3 आटा –100 ग्राम 4 हरी सब्जी–75 ग्राम 5 घी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार 6 सलाद–50 ग्रा	1 बिस्कुट– 4 पीस–पारलेजी 2 चाय– 100 मिली या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल– 50 ग्राम 2 चावल–150 ग्राम 3 आटा –100 ग्राम 4 हरी सब्जी–75 ग्राम 5 घी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार
मंगलवार	1 आलू पूरी 2 दूध– 200 मि०ली०	–तदैव–	हलवा सूजी 1 सूजी– 40 ग्राम 2 शक्कर–20 ग्राम 3 घी–10 ग्राम 4 चाय– 100 मि०ली० 5 मिक्स वेज/टोमेटो सूप	–तदैव–
बुधवार	1 आलू पराठा/ मूली पराठा 2 अचार/चटनी 3 दूध– 200 मि०ली	–तदैव–	1 सिंवईया– 30 ग्राम 2 दूध– 100 ग्राम 3 शक्कर– 20 ग्राम 4 रिफाइण्ड– 5 ग्राम 5 चाय– 100 मि०ली०	–तदैव–
गुरुवार	1 उपमा/ सिवईया 2 दूध– 200 मि०ली०	–तदैव–	1 फ्राइड चना 2 रिफाइण्ड– 5 ग्राम 3 चाय–100 मि०ली०	1 चावल– 200 ग्राम 2 दाल– 50 ग्राम 3 हरी सब्जी–50 ग्राम 4 अचार– 10 ग्राम 5 सलाद– 50 ग्राम
शुक्रवार	1 ब्रेड–04 पीस 2 मक्खन– 20 ग्राम 3 दूध– 200 मि०ली०	–तदैव–	1 बिस्कुट– 4 पीस–पारलेजी 2 चाय– 100 मि०ली० या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल– 50 ग्राम 2 चावल–150 ग्राम 3 आटा –100 ग्राम 4 हरी सब्जी–75 ग्राम 5 घी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

शनिवार	1 कॉर्न फ्लेक्श/फाइड चना/दूध–सिंवईयां 2 चाय–100 मि0ली0	–तदैव–	बेसन की पकौडी 1 बेसन–40 ग्राम 2 तेल– 20 ग्राम 3 प्याज,आलू,हरी मिर्च– 10 ग्राम 4 चाय–100 मि0ली0/ मिक्स वेज/टोमेटो सूप	–तदैव–
रविवार	1 पोहा/फाइड चना/दूध–सिंवईयां 2 चाय– 100 मि0ली0	1 पूड़ी हेतु आटा 200 ग्राम 2 खीर, पुलाव हेतु चावल–150 ग्राम 3 सब्जी– 100 ग्राम 4 छोले– 50 ग्राम 5 सलाद– 50 ग्राम 6 दूध–200 ग्राम 7 शक्कर– 20 ग्राम 8 अचार– 10	1 बिस्कुट– 4 पीस–पारलेजी 2 चाय– 100 मि0ली0 या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल की खिचडी/ तहरी 2 अचार–10 ग्राम 3 सलाद–50 ग्राम
सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार को अण्डा करी ।				

नोटः–

1. निर्धारित भोजन तालिका में दाल के अन्तर्गत सभी प्रकार की दाले (जैसे राजमा,लोबिया,कुलहत,अरहर,मसूर एवं मूगं इत्यादि) तथा (सब्जियां मौसम के अनुसार) प्रतिदिन अलग–अलग उपलब्ध कराई जायेगी।
2. कुकिंग का माध्यम रिफाइण्ड/सरसों का तेल होगा
3. शीतकाल में मूंगफली, गुड़,चना आदि दिया जाएगा।
4. दलिया/सिंवईया में दूध की मात्रा 200 मिली में ही सम्मिलित होगी।
5. प्रत्येक छात्र/को प्रति दिन एक मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
6. सप्ताह में तीन दिन अण्डा ऐग करी के रूप में दिया जाएगा।

(अमन अनिरूद्ध)
जिला समाज कल्याण अधिकार
ऊधमसिंहनगर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–1 (ग)

AFFIDAVIT

To,

The District Social Welfare, Officer
Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Dear Sir,

- I accept all the terms and conditions of the tenders.
- I have read and accepted the Menu and will supply the food accordingly.
- I will supply the food with in time limit; will be given in the supply order.
- If I will fail to supply the order within the given time you can charge Rs 500/day or up to the amount of security/earnest money.
- The rates given by us will be valid for one year only.

Dated-:---------------------------
Place -:---------------------------

Sign----------------------------
Name---------------------------

Name of firm and address

Scanned with OKEN Scanner